

23-10-17

आवेदिका सहित अधिवक्ता श्री सागरसिंह
कंषाना उप०।

अनावेदक सहित अधिवक्ता श्री सतीश मिश्रा
उप०।

प्रकरण राजीनामे की कार्यवाही हेतु नियत है।

प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा आवेदन इस
आशय का पेश किया कि उनके मध्य स्वेच्छा से बिना किसी
धौंस दबाव के राजीनामा हो गया है और भविष्य में किसी
प्रकार का मनमुटाव न रहे इसलिए अब वह प्रकरण को आगे
चलाना नहीं चाहते हैं।

उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं
आवेदिका ने आवेदन आगे न चलाना व्यक्त किया है।

अतः उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के
आलोक में प्रकरण इसी स्टेज पर समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल
अभिलेखागार किया जावे।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)